अर्द्ध शा० पत्र संख्या 472/चौवालिस-1/82

त्रिभुवन प्रसाद
मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन
सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग–1
विधान भवन
लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 1982

प्रिय महोदय,

राज्य सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों के संचालक मण्डलों में शासन द्वारा कुछ अधिकारियों को नामित किया जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यमों के संचालक मण्डलों द्वारा स्वयं भी अपने संचालक मण्डल में अथवा उनकी सहायक कम्पनी या उनके द्वारा 'प्रोमोटेड' संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों में कुछ अधिकारियों को उपक्रम की ओर से नामिनी निदेशक इत्यादि नियुक्त किया जाता है।

2- सरकार के समक्ष कुछ ऐसे उदाहरण आये हैं जिनमें इन अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात भी उन्होंने प्रश्नगत संचालक मण्डल की सदस्यता से त्याग–पत्र नहीं दिया जबकि उनका नामांकन उनके पिछले पद में कार्यरत रहते समय किया गया था। परिणाम यह होता है कि शासन अथवा सार्वजनिक उपक्रम को अपने इस विवेक को प्रयोग करने में कठिनाई होती है कि क्या सम्बन्धित अधिकारी को स्थानान्तरित पद पर भी निदेशक मण्डल में सदस्य बना रहना उचित होगा या उनके उत्तराधिकारी या अन्य किसी अधिकारी को उनकी एवज में होना अधिक उचित होगा।

कहने का तात्पर्य यह है कि सम्बन्धित अधिकारी को स्वयं 'एज्यूम' (assume कर लेना कि उसको सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम/संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी में अपने निजी अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर ही नामित किया गया है अतः वह किसी भी पद पर हो निदेशक मण्डल में बना रह सकता है, सही नहीं होगा। अधिकारी को अपने पद से स्थानान्तरण के तुरन्त बाद सम्बन्धित कम्पनी के सचिव को अपना त्याग–पत्र भेज देना चाहिए और कम्पनी के ऊपर यह विकल्प छोड़ देना चाहिए कि वह त्याग–पत्र स्वीकार करते हुए किसी अन्य अधिकारी को नामित करे या उसी अधिकारी को पुनः नामित करे (यदि अधिकारी को भी आपत्ति न हो)। इस प्रकार एक स्वस्थ परम्परा बन जायेगी जोकि सार्वजनिक क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों के संचालक मण्डलों में अधिकारियों के नामांकन की प्रतिक्रिया को वांछित व्यवस्था उपलब्ध करा सकेगी।

अतः उपरोक्त की पृष्ठभूमि में मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग की सभी कम्पनियों के अथवा अपनी सहायक कम्पनी/संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों के प्रबन्ध मण्डलों में अधिकारियों के नामांकन की स्थिति की उपरोक्त पृष्ठभूमि में समीक्षा कर लें और समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को इस पत्र में व्यक्त शासन की नीति के ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उनका सहयोग प्राप्त करें तथा वांछित व्यवस्था लाने का प्रयास करें।

भवदीय,
(त्रिभुवन प्रसाद)

शासन के समस्त सचिव (नाम से)
प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के
प्रबन्ध निदेशक (नाम से)

संख्या 472 (1)/चौवालिस–1/82-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
(3) उद्योग निदेशक, उ०प्र०, कानपुर।

(अरविन्द वर्मा)
सचिव।